



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 479 राँची, गुरुवार,

1 अक्टूबर, 2020 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

1 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना संख्या-परि० आ०-91/2014- 2217-- मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-88 की उपधारा (5) एवं उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल राज्य के बीच अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहनों का परिचालन किये जाने के निमित्त वर्ष-2004 में पारस्परिक परिवहन समझौता किया गया है। उक्त समझौता अंततः झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना सं०-842/2004/75, दिनांक-21.02.2006 के साथ प्रकाशित किया गया था, जो मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उपधारा (6) के अनुसार 08 मार्च, 2006 को अधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया था।

उपरोक्त पारस्परिक परिवहन समझौते में एक मार्ग-"टाटा से दुमका" जो अनुसूची-'ख' के क्रमांक-9 के रूप में शामिल किया गया था, के लिए उक्त समझौते में विस्तृत मार्ग संरेखण (Route Alignment) का उल्लेख नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा वाद सं०-W.P. No.-8030(w)/2011 गदाधर राँय एवं अन्य बनाम प० बंगाल राज्य एवं अन्य में दिनांक-19.05.2011 को आदेश पारित करते हुए उक्त मार्ग पर "टाटा से दुमका" तक विस्तृत मार्ग

संरेखण (Route Alignment) के बारे में विसंगतियों को हल करने हेतु दोनों राज्यों के राज्य परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता द्वारा निर्गत निर्देश का अनुपालन करते हुए उक्त मार्ग “टाटा से दुमका” के मार्ग संरेखण के बारे में विसंगतियों को हल करने के निमित्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड एवं सचिव, परिवहन विभाग, प0 बंगाल सरकार द्वारा दिनांक-18.01.2012 को बैठक सम्पन्न की गई।

“टाटा से दुमका” मार्ग के लिए सभी संभव संरेखणों (Alignment) को ध्यान में रखते हुए उक्त बैठक में दोनों राज्यों के द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी थी कि उक्त अंतर्राज्यीय मार्ग का विस्तृत मार्ग संरेखण “टाटा से दुमका” भाया-चाण्डिल, बलरामपुर, पुरूलिया, चास, धनबाद, निरसा, मैथन, मिहिजाम, जामताड़ा, पालजोरी होना चाहिए।

अतएव, विभागीय अधि० सं०-842/2004/75, दिनांक-21.02.2006 के माध्यम से प्रकाशित झारखण्ड-प० बंगाल पारस्परिक परिवहन समझौते की अनुसूची ‘ख’ के क्रम सं०-09 पर शामिल अन्तर्राज्यीय मार्ग “टाटा से दुमका” को विस्तृत मार्ग संरेखण के साथ “टाटा से दुमका” भाया-चाण्डिल, बलरामपुर, पुरूलिया, चास, धनबाद, निरसा, मैथन, मिहिजाम, जामताड़ा, पालजोरी पढ़ा जाय।

यह अधिसूचना इस विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधि० सं०-842/2004/75, दिनांक-21.02.2006 के विस्तार में निर्गत की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार

सचिव

परिवहन विभाग।
